UPAG010034052026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), न्यायालय संख्या 30, आगरा।
पीठासीन अधिकारी– (कुन्दन किशोर सिंह), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06424

<u>द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1444/2026</u>

धर्मेन्द्र यादव उर्फ काजू पुत्र बबलू यादव उर्फ कैलाश निवासी 300 सकरकुई के पास अलवर, राजस्थान उम्र 21 वर्ष ....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

1–उत्तर प्रदेश राज्य
2–श्रीमती ममता यादव पत्नी संजय यादव निवासी 12/134 रामनगर नुनिहाई रोड थाना एत्माद्दौला जिला आगरा । .... विपक्षीगण

मु0अ0सं0–237/2025
धारा–64(1) बी0एन0एस0
व 3/4 पॉक्सों एक्ट
थानाः एत्माद्दौला, आगरा

<u>दिनांकः 03.04.2026</u>

प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव उफ काजू की ओर से मु0अ0सं0 237/2025 धारा 64(1) बी0एन0एस0 व 3/4 पॉक्सों एक्ट थाना एत्माद्दौला जिला आगरा के मामले में प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ राजेश का शपथ, जो कि अभियुक्त का मामा एवं पैरोकार है, का इस आशय का दाखिल किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अतिरिक्त कोई भी प्रार्थनापत्र पूर्व में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही किसी अन्य न्यायालय में अथवा न ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में कोई प्रार्थनापत्र विचाराधीन है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार हैं कि उसकी बेटी/पीड़िता उम्र 16 वर्ष दिनांक 08.08.2025 को सुबह 11 बजे बेलनगंज जाने के लिये निकली थी जो कि घर वापस नहीं आयी, हमे शक है कि एक लड़का जिसका नाम धर्मेन्द्र यादव उफ काजू अलवर का रहने वाला उसकी बेटी को ले गया है। आवश्यक कार्यवाही किये जाने की याचना की।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित अन्तर्गत धारा 137(2), 87, 70(2) बी0एन0एस0 एवं 5जी/6 पॉक्सो एक्ट थाना एत्माद्दौलाम में मान्नीय उच्च न्यायालय से जमानत स्वीकृति के आदेश दिनांक 23.02.2026 को पारित किये गये है। जमानत प्रपत्र दाखिल किये जा चुके है। उसकी रिहाई आदेश निर्गत करते समय यह ज्ञात हुआ कि उपरोक्त मामले में आरोप पत्र संख्या

03/26 दिनांक 08.01.2026 में उसके विरूद्व धारा 137(2), 87, 64(1), बी0एन0एस0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट में आरोप निष्पादित किये है। वह दिनांक 10.11.2025 से जिला कारागार में निरूद्व है। वह विश्वसनीय जमानत दाखिल करने का तैयार है। जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की याचना की है।

वादिनी मुकदमा पर तामीला पर्याप्त है उसके बावजूद अपना पक्ष रखने हेतु कोई उपस्थित नहीं है।

अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा की नाबालिग पुत्री उम्र 16 वर्ष का अपहरण कर जबरन बलात्कार किया गया है, जो कि गम्भीर प्रकृति का अपराध है। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा जमानत का दुरूपयोग करने की संभावना है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, एंव राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक् परिशीलन किया।

वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त धमेन्द्र यादव उर्फ काजू की जमानत मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा फौजदारी प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 143/2026 में मु0अ0सं0 237/2025 धारा 137(2), 87, 70(2) बी0एन0एस0 व धारा 5जी/6 पॉक्सो अधिनियम में दिनांक 23.02.2026 को स्वीकार कर ली गयी है एवं मान्नीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में दिनांक 27.02.2026 को अभियुक्त को जमानतनामें दाखिल किये जाने हेतु आदेशित किया गया था। वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव उर्फ काजू के विरूद्व आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 137(2), 87, 64(1) बी0एन0एस0 व धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम में प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त मान्नीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में धारा 137(2), 87 बी0एन0एस0 में पूर्व में जमानत पर रहा है। अभियुक्त के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 64(1) बी0एन0एस0 व धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। मान्नीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा गुरूतर धाराओं में अभियुक्त को पूर्व में दिनांक 23.02.2026 को जमानत पर अवमुक्त किया जा चुका है तथा अभियुक्त के विरूद्व पूर्वतन धाराओं से निम्नतर धाराओं में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है, ऐसी स्थिति में मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत किया गया द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 64(1) बी0एन0एस0 व 3/4 पॉक्सो अधिनियम स्वीकार किये जाने योगय है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव उर्फ काजू द्वारा प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 64(1) बी0एन0एस0 व 3/4 पॉक्सो अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अभियुक्त द्वारा मान्नीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 23.02.2026 के पूर्व के आदेश के अनुक्रम में निर्धारित की गयी जमानत की धनराशि के अधीन जमानत पर अवमुक्त किया जाता है।

दिनांकः 03.04.2026

(कुन्दन किशोर सिंह)
आई0डी0–06424
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
न्यायालय संख्या–30
आगरा।

आशुलिपिक–अजय कुमार भारद्वाज